निदेशक, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला की रिपोर्टें सामग्री का अंतिम और निर्णायक प्रमाण हैं। ये रिपोर्टें इन मामलों में सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्टों का स्थान लेती हैं। चूंकि निदेशक ने दूध के ठोस पदार्थों में दूध की कमी वाले नमूनों को वसा नहीं पाया था, इसलिए नमूने पी -6 को मिलावटी माना जाता है और ऊपर उल्लिखित दो मामलों में दोनों आरोपियों को अधिनियम की धारा 16 (एल) (ए) (आई) के साथ धारा 7 के तहत अपराध के मिशन का दोषी ठहराया जाता है।

(5) इन मामलों में दूध के नमूने लगभग 10 साल पहले खरीदे गए थे और अब उन्हें मिलावटी दूध बेचने के लिए सजा सुनाई जानी है। उन्हें पहले अधिनियम की धारा 16 (1) (ए) (2) के तहत बिना किसी लाइसेंस के दूध बेचने के लिए सजा सुनाई गई थी, जैसा कि ऊपर कहा गया है। 10 साल के बाद आरोपी को जेल भेजना उचित नहीं होगा। यदि उन्हें पहले ही कारावास की सजा सुनाई जाती है और जुर्माना अदा नहीं करने पर प्रत्येक को 1,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना देना पड़ता है, तो उन्हें तीन महीने के कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। अपील स्वीकार करते समय ऐसा आदेश दिया जाता है।

आर.एन.आर.

न्यायमूर्ति वी. के. झांजी के समक्ष

मोहिंदर सिंह, - *याचिकाकर्ता*

बनाम

संपदा अधिकारी, यूटी प्रशासन, चंडीगढ़

और अन्य, *उत्तरदाता।*

सिविल संशोधन सं. 1986 *का* 2524।

30 मई, 1991

मध्यस्थता अधिनियम, 1940- अनुच्छेद 14, , 16, , 17- मध्यस्थता अधिनिर्णय- राशि, *हालांकि, अनिर्धारित छोड़ दी गई - मध्यस्थ ने दावा की गई राशि का निर्धारण करने के लिए मामले को संपदा अधिकारी को भेज दिया -* न्यायालय के *अधिनिर्णय* नियम बनाने के लिए आवेदन - पुरस्कार को *पूर्ण निर्धारण के लिए आर्बीट्रेटर को भेजा जाना चाहिए।*

माना जाता है कि जहां मध्यस्थ ने मध्यस्थता के लिए संदर्भित किसी भी मामले को अनिर्धारित छोड़ दिया है, या जहां यह किसी भी मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं करता है और ऐसे मामले को संदर्भित मामलों की अवधि को प्रभावित किए बिना अलग नहीं किया जा सकता है।

मोहिंदर सिंह *बनाम* एस्टेट ऑफिसर, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ और एक अन्य (*न्यायमूर्ति* वीके झांजी)

अदालत ऐसी शर्तों पर फैसला सुनाने के लिए मध्यस्थ या अंपायर को भेज सकती है, जो उसे उचित लगती हैं। इस प्रकार, एक बार जब मामला मध्यस्थ को भेजा गया, तो यह वह था जिसे याचिकाकर्ता के दावे को निर्धारित करना था,

बजाय इसके कि किसी और को उसकी ओर से फैसला करने के लिए कहा जाए।

(पैरा 7 और 8)

श्री गोपी चंद, पीसीएस, वरिष्ठ सुह न्यायाधीश, चंडीगढ़ की अदालत के दिनांक 13 जून, 1986 के आदेश के विभाजन के लिए सी.पी.सी. की धारा 115 के तहत याचिका , जिसमें *अधिनिर्णय को न्यायालय का नियम बनाने की याचिका को खारिज कर दिया गया था।*

याचिकाकर्ता की ओर से इंद्रजीत मल्होत्रा, एडवोकेट,

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता प्रबोध मित्तल ने कहा,

निर्णय

न्यायमूर्ति वी. के. झांजी

.

(1) याचिकाकर्ता ने चंडीगढ़ के वरिष्ठ उप न्यायाधीश के 13 जून, 1986 के आदेश के खिलाफ वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को प्राथमिकता दी है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 14 और 17 के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था। वरिष्ठ उप न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि निर्णय अस्पष्ट, अनिश्चित है क्योंकि मध्यस्थ ने पार्टियों के बीच

मतभेदों को निर्धारित नहीं किया है क्योंकि उन्होंने मामले को विवाद में छोड़ दिया है, और पार्टियों को संपत्ति अधिकारी, चंडीगढ़ के समक्ष सबूत पेश करने का निर्देश दिया है। इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, निर्णय को न्यायालय का नियम बनाने की याचिका को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता नेइस वर्तमान पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से उक्त आदेश को लागू किया है।

संक्षेप में, मामले के तथ्यों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता जो साइट नंबर 3418, सेक्टर 23-डी, चंडीगढ़ का स्थानांतरणकर्ता है, ने एस्टेट ऑफिसर, चंडीगढ़ से उक्त साइट पर एक घर के निर्माण के लिए 14,000 रुपये का ऋण प्राप्त किया था।एस्टेट ऑफिसर के साथ याचिकाकर्ता, 14 जून, 1958 को। सिक्योरिटी-कम-मॉर्गेज डीड के क्लॉज 3 के अनुसार, याचिकाकर्ता को ब्याज के साथ ऋण की राशि का भुगतान 30 घंटे कीवार्षिक किस्तों में करना था। हालांकि, याचिकाकर्ता ने ऋण की किस्तों का भुगतान करने में चूक की, और उक्त किस्तों को वसूलने के लिए, एस्टेट ऑफिसर ने

कलेक्टर, चंडीगढ़ को निर्देश दिया कि भू-राजस्व की बकाया राशि के समान ही वसूली। याचिकाकर्ता के घर को 24 जुलाई, 1970 को पंजाब भूमि राजस्व �धिनियम, 1887 की धारा 76 के तहत जब्त कर लिया गया था और नीलाम कर दिया गया था। 24 नवंबर, 1971 को आयुक्त द्वारा बिक्री की पुष्टि की गई थी। याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में कुर्की और बिक्री को चुनौती दी और इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने मकान की बिक्री को रद्द कर दिया। इस न्यायालय के निर्णय के �नुसरण में, दिसंबर में याचिकाकर्ता को घर जारी कर दिया गया था। 1972 में

11,374 रुपये की राशि की वसूली के लिए घर को फिर से कुर्क किया गया और 30दिसंबर, 1973 से 13 जनवरी, 1975 तक कुर्क किया गया। जनवरी, 1975 में याचिकाकर्ता को मकान जारी करने के बाद, याचिकाकर्ता ने 4 फरवरी, 1979 को विवाद के निर्णय के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के तत्कालीन वित्त सचिव के समक्ष सुरक्षा-सह-बंधक विलेख के खंड 14 के तहत मध्यस्थता के लिए एक आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन को खारिज कर दिया गया था, क्योंकि विद्वान वित्त सचिव का विचार था कि मध्यस्थता के लिए संदर्भ सक्षम नहीं था। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने एक मध्यस्थ की नियुक्ति और विवाद के निर्णय के लिए संदर्भ देने के लिए चंडीगढ़ के विद्वान उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, की दालत में धिनियम की धारा 20 के तहत एक आवेदन दायर किया। विद्वान उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ ने दिनांक 22 प्रैल, 1983 के आदेश के तहत विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज दिया। फैसले का ंतिम पैरा इस प्रकार है: –

> "उपरोक्त चर्चाओं के परिणामस्वरूप, विवाद में मामले को निर्णय के लिए मध्यस्थ यानी मुख्य प्रशासनिकप्रदाता, यूटी चंडीगढ़ को भेजा जाता है। मध्यस्थ पार्टियों को नोटिस देगा और उसके बाद, वह पार्टियों को पने मामलों के समर्थन में साक्ष्य का नेतृत्व करने और पना निर्णय प्रस्तुत करने का वसर देगा। जो करार प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसे भी मध्यस्थ के पास भेजा जाए। आदेश की प्रति नुपालन के लिए मध्यस्थ को भेजी जाए ।

(2) उपर्युक्त निर्णय के नुसरण में, याचिकाकर्ता ने पने दावे को विद्वान वित्त,

सचिव के समक्ष भेज दिया, जिसे मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अधिक भुगतान और कलेक्टर के माध्यम से एस्टेट ऑफिसर द्वारा किरायेदारों से की गई वसूली के परिणामस्वरूप उसे 12,380 रुपये की राशि वापस की जा सकती है, इस अवधि के दौरान घर कुर्क किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि जिस समय 17 अप्रैल को घर की कुर्की की गई थी। 1968 में, घर को 255 रुपये प्रति माह के मासिक किराए पर छोड़ दिया गया था, और वर्ष के दौरान

कुर्की की अवधि में कलेक्टर का यह कर्तव्य था कि वह उक्त संपत्ति का उचित तरीके से प्रशासन करे और 255 रुपये प्रति माह की दर से किराया वसूले। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि कलेक्टर द्वारा 12,720 रुपये की राशि वसूल की जानी चाहिए थी और इस हद तक क्रेडिट याचिकाकर्ता के खाते में दिया जाना चाहिए था। इस तरह, उन्होंने दावा किया कि 12,380 रुपये की राशि उन्हें वापस कर दी जानी चाहिए थी।

(3) पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद मध्यस्थ ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता की शिकायत वास्तविक है और उस पर संपदा अधिकारी द्वारा अधिक आरोप लगाया गया है। हालांकि, उक्त घर की दो कुर्की के दौरान एस्टेट अधिकारी/कलेक्टर द्वारा अधिक वसूली गई अतिरिक्त राशि का निर्धारण करने के बजाय, मध्यस्थ ने उक्त उद्देश्य के लिए मामले को एस्टेट अधिकारी को भेज दिया। पुरस्कार का अंतिम पैरा निम्नानुसार है: –

> "इन परिस्थितियों में, मैं आदेश देता हूं कि संपदा अधिकारी को याचिकाकर्ता के खाते को सावधानीपूर्वक पुनर्गठित करना चाहिए और ऐसा करते समय याचिकाकर्ता को उस राशि का क्रेडिट दिया जाना चाहिए जिसे कलेक्टर द्वाराउक्त घर की दो कुर्की के दौरान जब्त किया जाना चाहिए था, न कि उस राशि का जो वास्तव में कलेक्टर द्वारा वसूल की गई थी। याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह अपनी इस

दलील के समर्थन में संपदा अधिकारी के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करे कि पहली बार के दौरान उसके घर को 255 रुपये के मासिक किराए पर छोड़ा गया था, न कि 178 रुपये प्रति माह पर, जैसा कि संपदा अधिकारी के प्रतिनिधि ने कहा था। याचिकाकर्ता द्वारा 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के भुगतान के लिए किए गए दावे को खारिज किया जाता है। संपदा अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता के इस दावे का निपटारा इस फैसले के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर करे।

(4) इसके बाद याचिकाकर्ता ने अवॉर्ड को अदालत का नियम बनाने के लिए अधिनियम की धारा 14 और 17 के तहत एक याचिका दायर की। प्रतिवादियों द्वारा उक्त याचिका का विरोध किया गया था। विद्वान वरिष्ठ उप न्यायाधीश ने उक्त याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि निर्णय अस्पष्ट, अनिश्चित और अधूरा है, और मध्यस्थ ने मामले को विवाद में छोड़ दिया है।

(5) याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादी भी विद्वान के समक्ष सहमत थे वरिष्ठ उप न्यायाधीश ने लिखित में यह भी दिया कि पुरस्कार मध्यस्थ को वापस भेजा जाए क्योंकि उन्होंने उन्हें भेजे गए मामले का निर्धारण नहीं किया है।

(6) याचिकाकर्ता के वकील को सुनने के बाद, मेरा विचार है कि विद्वान वरिष्ठ उप न्यायाधीश को अधिनियम की धारा 14 और 17 के तहत आवेदन को खारिज

करने के बजाय, पुनर्विचार के लिए मध्यस्थ को निर्णय भेजना चाहिए था क्योंकि उन्होंने विवाद के निर्णय के लिए संदर्भित मामले को छोड़ दिया है। अनिर्धारित अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (1) के खंड (क) में यह प्रावधान है कि जहां मध्यस्थ ने न्यायिक रूप से संदर्भित किसी भी मामले को छोड़ दिया है, या जहां यह मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट नहीं किए गए किसी मामले को निर्धारित करता है और ऐसे मामले को संदर्भित मामलों के निर्धारण को प्रभावित किए बिना अलग नहीं किया जा सकता है, न्यायालय ऐसी शर्तों पर पुनर्विचार के लिए मध्यस्थ या अंपायर को पुरस्कार भेज सकता है जैसा वह उचित समझे।अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और (बी) में यह प्रावधान है कि न्यायालय मध्यस्थ के समक्ष पुनर्विचार के लिए निर्णय भेज सकता है:

(a) जहां निर्णय ने मध्यस्थता के लिए संदर्भित किसी भी मामले को अनिर्धारित छोड़ दिया है; या

(b) जहां निर्णय किसी ऐसे मामले को निर्धारित करता है जिसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया गया है और ऐसे मामले को रोकने के लिए संदर्भित मामलों को प्रभावित किए बिना पाई ए वार्ड से अलग नहीं किया जा सकताहै।

जब ऐसे मामलों को अलग नहीं किया जा सकता है, तो उचित उपाय यह है किअधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (ए) में उल्लेख किया गया है।

(7) वर्तमान मामले में, मध्यस्थ को याचिकाकर्ता द्वारा उसके समक्ष निर्धारित

दावे को रोकने की आवश्यकता थी। मध्यस्थ ने दिनांक 19 फरवरी, 1985 के अपने अधिनिर्णय में यह निष्कर्ष निकाला है कि याचिकाकर्ता कीशिकायत वास्तविक है और संपदा अधिकारी द्वारा उस पर अधिक शुल्क लिया गया है, लेकिन संपदा अधिकारी द्वारा अधिक वसूली गई राशि का निर्धारण करने के बजाय मध्यस्थ ने राशि निर्धारित करने के लिए मामले को संपदा अधिकारी के पास वापस भेज दिया। याचिकाकर्ता को अपने दावे के समर्थन में संपदा अधिकारी के समक्ष सबूत पेश करने का निर्देश दिया गया था। एक बार जब मामला मध्यस्थ के पास भेज दिया गया, तो यह वह था जिसे याचिकाकर्ता के दावे का निर्धारण करना था, बजाय इसके कि किसी और को उसके बारे में फैसला करने के लिए कहा जाए।इसे देखते हुए उन्होंने अपने पास भेजे गए मामले कोअस्वीकृत छोड़ दिया। विद्वान वरिष्ठ उप न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 14 और 17 के तहत याचिका को खारिज करते हुए यह भी कहा है :

> "मध्यस्थ ने पार्टियों के बीच मतभेदों को निर्धारित नहीं किया है, बल्कि उन्होंने विवाद में मामले कोअनिर्णयित छोड़ दिया है और पार्टियों को चंडीगढ़ के एस्टेट ऑफिसर के समक्ष सबूत पेश करने का निर्देश दिया है।

(8) इस मामले को ध्यान में रखते हुए विद्वान वरिष्ठ उप-न्यायाधीश को अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के तहत निर्णय को पुनर्विचार के लिए मध्यस्थ को भेजना चाहिए था और 22 अप्रैल, 1983 के संदर्भ के संदर्भ में याचिकाकर्ता के दावे को अंतिम रूप से निर्धारित करना चाहिए था। इस प्रकार,

धिनियम की धारा 14 और 17 के तहत याचिका को खारिज करने वाले विद्वान वरिष्ठ उप न्यायाधीश के आक्षेपित आदेश, निर्णय को न्यायालय का नियम बनाने के लिए, रद्द किया जा सकता है। इसलिए, मैं आक्षेपित आदेश को निरस्त करता हूं। इसके लावा, पुनरीक्षण याचिका एक स्पष्ट है,लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है। मामले को चंडीगढ़ के वरिष्ठ उप न्यायाधीश के पास वापस भेज दिया जाता है, जो इस निर्देश के साथ मध्यस्थ को पुरस्कार भेजेंगे कि पक्षकारों के मध्यस्थ के समक्ष पेश होने की तारीख से चार महीने के भीतर मामले को ंतिम रूप से निर्धारित किया जाए।

(9) पक्षकारों को वकील के माध्यम से 8 जुलाई, 1991 को चंडीगढ़ के वरिष्ठ उप न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

आर.एन.आर.

न्यायमूर्ति एस. एस. ग्रेवाल के समक्ष

किशोर कुमार गुप्ता और न्य, *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य- *प्रतिवादी*

आपराधिक विविध *क्रमांक* 1989 *का* 7862-एम।

19 जुलाई, 1991।

भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 149, 420, 406, 498-ए - *क्रिमिनल प्रक्रिया संहिता*, 1973 (1974 *का II*) - *धारा* 156 (3), 482 - *पत्नी द्वारा की गई शिकायत पर पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज की गई पीआईआर - एफआईआर में लगाए गए क्रूरता आदि के* कोई विशेष आरोप नहीं--- केवल ⊠ स्पष्ट और

(10)

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धांत रॉयल

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

64

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा